य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

माननीय मुख्यमंत्री
बिहार सरकार

निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के Convergence से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण

- निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत 4600 रू0, मनरेगा से अधिकतम 4500 रू0 तथा लाभार्थी का न्यूनतम 900 रू0 लगाकर सभी BPL तथा चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों * के घरों में 10,000 रू0 या इससे अधिक का शौचालय निर्माण कराया जा सकता है। शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरान्त निर्मल भारत अभियान से 4,600 रू0 लाभार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा ।
- उक्त चिन्हित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य APL परिवारों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत 4600 रू0 प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा ।

इन्दिरा आवास के लाभान्वितों के घरों के शौचालय निर्माण	BPL (इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को छोड़कर) तथा चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों * के घरों में शौचालय निर्माण	शेष APL परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण
इन्दिरा आवास के लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरान्त उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	BPL (इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को छोड़कर) तथा चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों * के लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरान्त उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	शेष APL परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरान्त उन्हें जिला जल एवं स्वच्छता समिति (PHED) के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

जिला के उप–विकास आयुक्त/कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जिला समन्वयक एवं प्रखण्ड समन्वयक, निर्मल भारत अभियान/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा)/ग्राम पंचायत के मुखिया

सुचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों, छोटे व सीमांत किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांगों तथा महिला प्रमुख परिवारों

शौचालय अपनाएं, जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल बनाएं।

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना   ग्रामीण विकास विभाग, बिहार

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक –पी0एच0 / बि0ज0स्व0मि0–102 / 2013-731   पटना, दिनांक –6-9-2013

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक सह कार्यकारी अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन।
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक–सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।
सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

विषयः–निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशिका के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (जिसमें इंदिरा आवासों में शौचालय शामिल है) के निर्माण के संबंध में।

प्रसंगः– 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के सहमति से निर्गत दिशा–निदेश (पत्रांक J-11017/41/2011-MGNREGA (Pt.) दिनांक–11.09.2012)।
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का संकल्प सं0–पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0–102/2013–689, दिनांक 07.08.2013।
3. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के convergence से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण के संबंध में लिये गये निर्णय से संबंधित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का प्रासंगिक संकल्प संलग्न है।

2. इसके अवलोकन करने से ज्ञात होगा कि निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के convergence से मनरेगा अंतर्गत निम्नलिखित चिन्हित परिवारों के घरों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया जाना हैः–

क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
ग) भूमि सुधार के लाभार्थी (पर्चाधारी)
घ) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
ङ) लघु या सीमांत कृषकों तथा

AA

च) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत लाभार्थी

निर्मल भारत अभियान के तहत प्रावधानित ₹4600 (प्रति परिवार) प्रोत्साहन राशि, मनरेगा से अधिकतम ₹4500, तथा लाभार्थी के ₹900 अंशदान (न्यूनतम) के साथ, ₹10,000 रूपये (या उससे अधिक) लागत राशि के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों द्वारा कराया जाना है। शारीरिक रूप से विकलांगो तथा महिला प्रमुख परिवारों के शौचालयों का निर्माण अन्य जॉब कार्डधारियों द्वारा किया जा सकता है।

3. इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

3.1. इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में शौचालयों का निर्माण

i. इन्दिरा आवास के लाभान्वितों के घरों के शौचालय का निर्माण, इन्दिरा आवास की कार्यान्वियन एजेन्सी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। लाभार्थी को स्वयं भी योजना पर मजदूर के रूप में काम करना है। यदि लाभार्थी के पास जॉब कार्ड नहीं है तो वह इसके लिए आवेदन करेंगे।

तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और कोई महिला प्रमुख परिवारों के मामले में इस शर्त को शिथिल बनाया जाएगा (क) यदि परिवार में कोई अन्य वस्यक सदस्य (दोनों श्रेणियों के लिए) न हो और (ख) महिला प्रमुख परिवारों के मामले में, परिवार के मुखिया की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।

ii. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने प्रखण्ड अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य के अनुसार ऐसे परिवारों जिनके घरों में पूर्व में निर्मल भारत अभियान/सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से शौचालय निर्माण नहीं किये गये हैं, के लिए शौचालय निर्माण का कार्य करायेंगें।

iii. प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा मद की राशि सीधे जिला निधि प्रबंधक के माध्यम से राज्य निधि से प्राप्त करेंगे।

iv. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जिलावार इन्दिरा आवास के लक्ष्य की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

v. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इंदिरा आवास योजना के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) की अधियाचना संबंधित 'जिला जल एवं स्वच्छता समिति' से करेंगें।

vi. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिला में निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु राशि के अनुसार इन्दिरा आवास के प्रखंडवार लक्ष्यों के अनुरूप ₹4600 प्रति शौचालय की दर से प्रखंडवार राशि कर्णांकित की जायेगी तथा उसका 50 प्रतिशत राशि प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अग्रिम के तौर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

vii. मनरेगा की राशि पंचायत समिति के योजना खाते में तथा निर्मल भारत अभियान से प्राप्त राशि इस उद्देश्य से खोले गये अलग खाते में संधारित की जायेंगी।

viii. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध 60 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर शेष 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की जायेगी।

ix. इन्दिरा आवास के निर्माण के साथ ही लाभान्वितों के घरों में शौचालय का निर्माण प्रारंभ कराया जाएगा।

x. इन्दिरा आवास की प्रथम किस्त की राशि से आवास के छत ढलाई के साथ शौचालय का निर्माण लाभार्थी द्वारा पूर्ण कर लिया जाना है। इंदिरा आवास की अंतिम किस्त की राशि का भुगतान अन्य निर्धारित अहर्ता के साथ शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरांत ही किया जायेगा।

xi. प्रखंड विकास पदाधिकारी लाभान्वितवार अभिलेख संधारित करेंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी संबंधित लाभार्थी के नाम का ई–मस्टर जारी करेंगे।

xii. सामग्री का क्रय लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान ई–मस्टर रौल एवं विपत्र के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थी को उनके खाते में किया जायेगा। कार्य की मापी मनरेगा अंतर्गत उक्त पंचायत के प्रभार वाले कनीय अभियंता द्वारा की जायेगी।

xiii. मस्टर रौल का संधारण पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा। उपस्थिति दर्ज करके पंचायत सचिव मस्टर राल को प्रखंड में जमा करेंगे जो अभिलेख में रहेगा। इस आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी MIS में प्रविष्टि करावेंगे।

xiv. सामग्री के अभिश्रव का भुगतान मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के उपरांत शेष बची राशि से किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर निर्मल भारत अभियान की राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी। तदनुसार मनरेगा के MIS में मनरेगा से संबंधित व्यय की विवरणी की प्रविष्टि की जायेगी तथा निर्मल भारत अभियान का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा।

3.2 इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को छोड़कर अन्य लाभार्थियों (BPL तथा चिन्हित श्रेणी के APL परिवार) के घरों में शौचालय निर्माण

i. योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। निर्माण कार्य जॉब कार्ड धारियों द्वारा किया जायेगा। लाभार्थी को स्वयं भी योजना पर मजदूर के रूप में काम करना है। यदि लाभार्थी के पास जॉब कार्ड नहीं है तो वह इसके लिए आवेदन करेंगे।

तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और कोई महिला प्रमुख परिवारों के मामले में इस शर्त को शिथिल बनाया जाएगा (क) यदि परिवार में कोई अन्य

वस्यक सदस्य (दोनों श्रेणियों के लिए) न हो और (ख) महिला प्रमुख परिवारों के मामले में, परिवार के मुखिया की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।

ii. ग्राम पंचायत जिला जल एवं स्वच्छता समिति से प्राप्त पंचायतवार BPL तथा APL परिवारों में निर्मल भारत अभियान/सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/लोहिया स्वच्छता योजना अन्तर्गत निर्मित शौचालयों की सूची के आलोक में तथा जिन लाभार्थियों का शौचालय निर्माण इंदिरा आवास के साथ किया जा रहा है, को छोड़कर अन्य योग्य परिवारों का शौचालय निर्माण करायेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी इंदिरा आवास के जिन लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण करा रहे हैं, उनकी सूची संबंधित पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

iii. लाभांवितों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि इच्छुक लाभुक द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आवेदन ग्राम पंचायत को अथवा कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया जायेगा। सूची को अधिनियम में निर्धारित वर्ग वार वरीयता क्रम में समेकित किया जायेगा।

iv. जिला जल एवं स्वच्छता समिति निर्मल ग्राम हेतु चिन्हित पंचायतों के संबंध में सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को देंगे।

v. ग्राम पंचायत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु राशि की अधियाचना संबंधित 'जिला जल एवं स्वच्छता समिति' से करेंगे तथा वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों की प्राथमिकता सूची से जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित राशि/संख्या के अनुसार योजना शुरू करेंगे।

vi. निर्मल भारत अभियान की प्रोत्साहन राशि (₹4600 प्रति लाभुक के दर से) जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे पंचायतें अलग बैंक खाते में संधारित करेंगी।

vii. मनरेगा मद की राशि पंचायतों को वर्तमान निधि व्यवस्था, जिसमें जिला द्वारा सीधे स्टेट पूल से राशि निकासी कर पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है, के तहत हीं उपलब्ध करायी जायेगी।

viii. ग्राम पंचायतें लाभुक जो जॉब कार्डधारी होगा के माध्यम से शौचालय का निर्माण कार्य मनरेगा के प्रावधानो के अनुरूप करायेंगी।

ix. ग्राम पंचायतें शौचालय निर्माण के उपरांत निर्मल भारत अभियान अंतर्गत प्रोत्साहन राशि (₹4600 प्रति लाभुक) 10 दिनों के अंदर लाभार्थियों के बैंक खाते में यथा सम्भव उपलब्ध करायेंगी।

4. प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि :–

i. सभी लाभार्थी परिवारों का मनरेगा अंतर्गत निबंधन कर लिया गया है तथा उनको जॉब कार्ड निर्गत है।

ii. योजना की कार्यान्वियन में भारत सरकार के प्रावधानो का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

iii. शौचालय निर्माण का कार्य वांछित गुणवत्ता के साथ अभियान चलाकर 2 महीने के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण हो तथा शौचालय का उपयोग हो, ताकि निर्मल भारत अभियान की परिकल्पना को सार्थक बनाया जा सके।

iv. शौचालय निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत के तकनीकि सहायक, प्रखंड समन्वयक (NBA), कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी।

v. निर्माण कार्यों का तकनीकि पर्यवेक्षण मनरेगा के तकनीकि कर्मियों द्वारा किया जायेगा। आवश्यतानुसार समय समय पर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा भी तकनीकि पर्यवेक्षण किया जायेगा।

vi. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ग्राम पंचायतों द्वारा 15 दिन पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति से प्राप्त निधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जाय।

5. निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के convergence से ₹10000 या उससे अधिक के शौचालय निर्माण कराया जाना है। अतः सुगम प्रसंग हेतु ₹10000 लागत के शौचालय मॉडल का मानक प्राक्कलन एवं नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न है। लाभार्थियों द्वारा और भी राशि लगाकर इससे अच्छा शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है।

कृपया विशेष रूची लेकर इस योजना को सफल बनाया जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त ।

विश्वासभाजन

6/9/13

अंशुली आर्या,
सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विश्वासभाजन

5.9.13

अमृत लाल मीणा,
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग।

Estimate of IHHL with Precast RCC Roof & two leach pit.

Sl.No.	Particulars	Quantity	Unit	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1 2.8.1	Earth work in excavation in foundation trenches in ordinary soil (vide classification of soil item A) and disposal of excavated earth as obtained to a distance up to 50 mtr. Including all lifts, levelling, ramming the foundation trenches, removing roots of the trees, shurbs, building specification and direction of E/I	0.472+3.943=4.415 M3	P/M3	160.60	709.05
2 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I(below leach pit)	0.742 M2	P/M2	170.20	126.26
3 2.28	Supplying and filling in plinth with local sand under floors including watering ramming consolidating and dressing comp. etc. (At flooring in toilet room)	0.081 M3	P/M3	180.20	14.60
4 4.5.8	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of cantering and shuttering all work upto plinth level (1:4:8)(at foundation of toilet room)	0.0786 M3	P/M3	2144.80	168.58
5 6.1.12/1	Brick work with bricks of class designation 100A in foundation and plinth in cement mortar 1:4(Brick work upto plinth and leach pit)	0.0786 +0.402+0.389=0.87 M3	P/M3	L.S	2310.34
6 4.5.8	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - all work upto plinth level at flooring P.C.C.(. 1.4.8)	0.081M3	P/M3	2144.80	173.73
7 4.5.4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering -all work upto plinth level PCC1:2:4 (1 Cement: 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	0.081 M3	P/M3	3037.30	246.02
8 6.1.12/1+6.3A	Brick work with bricks of class designation 100A in foundations and plinth in Cement mortar 1:4 (1 cement 4 coarse sand) Cement mortar 1:4 (1 cement: 4 coarse sand	0.851M3	P/M3	3230+341.70= 3571.7	3039 52
9 5.1.3	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete excluding the cost of centring, shuttering, finishing and reinforcement-All work upto plinth level RCC1:2:4 (1 cement:2 coarse sand:4 graded stone Aggregate 20 mm nominal size)(Cover slab 3 inch thick with two m/s hook for lifting.)	0.193 M3	P/M3	3234 90	624.34

10 5.1.3	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete excluding the cost of centring, shuttering, finishing and reinforcement-All work upto plinth level RCC 1:2:4 (1 cement:2 coarse sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)(to be used as Precast roof slab 3 inch thick with 2 ms hook for lifting)	0.152 M3	P/M3	3234.90	491.70
11 1004E	Providing mild steel wire rod for roof and cover slabs.	13.63 + 10.76= 24.39 kg	P/Kg	47.98	1170.23
12 13.11	12 mm cement plaster of mix 1:6(1 cement: 6 coarse sand)	17.63M2	P/M2	72.10	1271.12
13 13.24.2	6mm cement plaster to ceiling of mix 1:4	1.08M2	P/M2	61.80	66.74
14 13.73.1	Colour washing such as green, blue or buff to give an even Shade New work (two or more coats) with a base coat of white washing	17.63	P/M2	11.10	195.70
15	Rural pan with P trap	1 NO	Per No	200.00	200.00
16	PVC pipe (2"1.5m) with one plug	3M		L.S.	400.00
17	Gate GCI Sheet 0.63 mm thick	1.13M^2	P/M^2	322.58	364.52
	TOTAL				11572.45

Less (CP + OH)@13.043% (-)1509.45

10063.00

Less for higher unskilled labor wage: 9•(151-144)= (-)63.00

Total Estimated Cost Rs. 10000.00

Overall LABOR: MATERIAL 13:87

PLAN OF IHHL

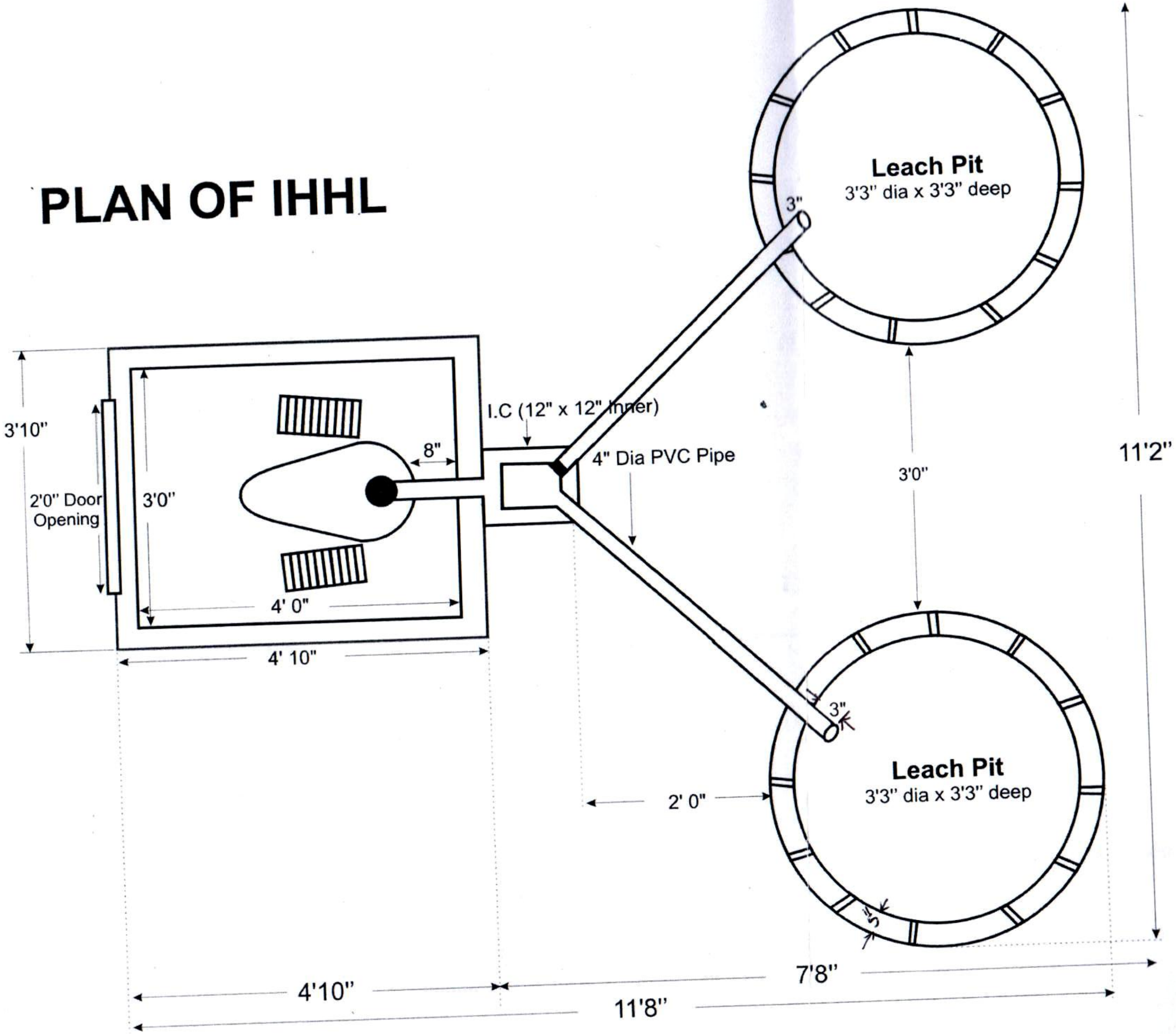
Leach Pit
3'3" dia x 3'3" deep
3"
I.C (12" x 12" Inner)
4" Dia PVC Pipe
3'0"
11'2"
3'10"
8"
2'0" Door
Opening
3'0"
4' 0"
4' 10"
3"
Leach Pit
3'3" dia x 3'3" deep
2' 0"
5"
7'8"
4'10"
11'8"

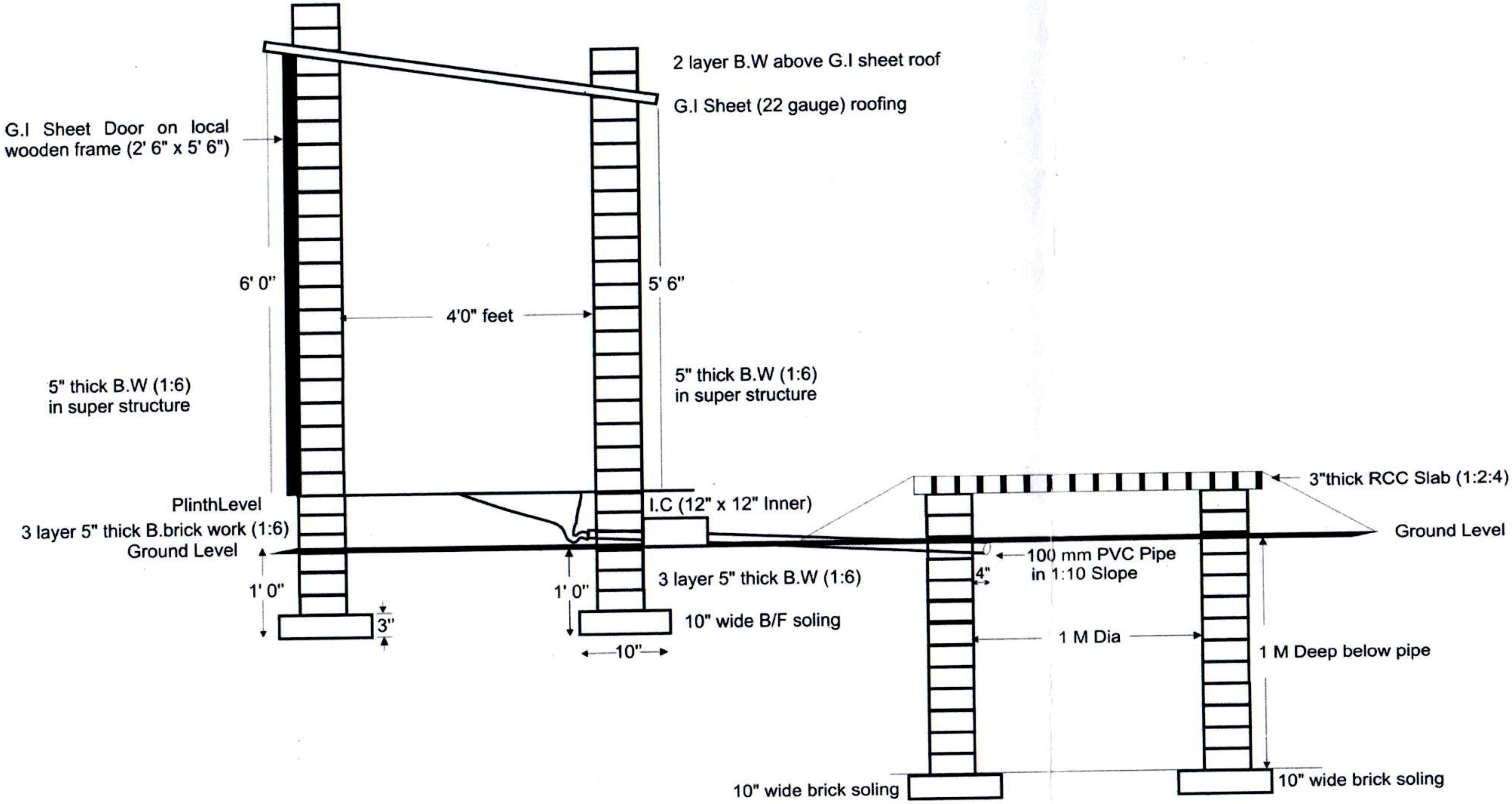

Sectional Elevation of IHHL

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संचिका सं0–पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0–102/2013– 689 दिनांक:– 07.08.2013

संकल्प

विषयः निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि ग्राम पंचायतों तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने एवं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) से निर्धारित राशि लगाकर शौचालय निर्माण के उपरान्त लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से निर्मल भारत अभियान (NBA) के तहत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (IHHLs) का निर्माण जिला स्तर पर गठित 'जिला जल एवं स्वच्छता समितियों' के माध्यम से कराया जा रहा है। विभाग के स्तर से हाल में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (IHHLs) का निर्माण लाभान्वितों से कराने एवं तदोपरान्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभान्वितों को करने का निदेश जिला जल एवं स्वच्छता समितियों को दिया गया है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण के संबंध में संयुक्त रूप से निर्गत दिशानिर्देश में मुख्यतः निम्न प्रावधान हैं:–

(i) इंदिरा आवास योजना के सभी लाभार्थियों को निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्राथमिकता दी जानी है।

(ii) इंदिरा आवास योजना की कार्यावन्यन एजेंसी द्वारा इंदिरा आवास योजना के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि (केन्द्रांश तथा राज्यांश) के लिए संबंधित 'जिला जल एवं स्वच्छता समिति' को अधियाचना की जायेगी। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इंदिरा आवास

निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक प्रोत्साहन राशि का 50% राशि प्रथम किस्त के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को हस्तांतरित की जायेगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को विमुक्त राशि का 60% राशि व्यय किए जाने एवं इसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र/यथानिर्धारित Audited Statement of Account (ASA) जिला जल एवं स्वच्छता समिति को समर्पित किए जाने के उपरान्त आवश्यक प्रोत्साहन राशि की शेष 50% राशि 'जिला जल एवं स्वच्छता समिति' द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को विमुक्त की जायेगी।

(iii) इंदिरा आवास के साथ शौचालय निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों में शौचालय निर्माण के उपरान्त ही इंदिरा आवास योजना की अंतिम किस्त तथा निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(iv) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के convergence से किया जाना है, जिसके लिए MGNREGS की राशि ₹4500 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

3. इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को छोड़कर अन्य लाभार्थियों (BPL एवं चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों) के संदर्भ में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण भी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ convergence से किया जाना है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुसार वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान के तहत प्रावधानित ₹4600 (प्रति परिवार) प्रोत्साहन राशि, MGNREGS से अधिकतम ₹4500 लगाकर, तथा लाभार्थी के ₹900 अंशदान (न्यूनतम) के साथ, ₹10,000 (या उससे अधिक) लागत राशि के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों द्वारा कराया जाना है एवं प्रोत्साहन राशि शौचालय निर्माण के

उपरान्त उन्हें उपलब्ध करायी जानी है। ग्राम पंचायतों द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समितियों से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान के आवश्यक प्रोत्साहन राशि की अधियाचना की जायेगी। जिला जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि (₹4600 प्रति परिवार) ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना है।

4. वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवणः—

(i) जिला जल एवं स्वच्छता समितियां (DWSCs) निर्मल भारत अभियान की स्वीकृत योजना के अनुसार ग्राम पंचायतवार बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों की सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगी।

(ii) शौचालय निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायत तकनीकि सहायक, प्रखण्ड समन्वयक (NBA), कार्यक्रम पदाधिकारी, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की होगी।

(iii) योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तकनीकी कर्मियों द्वारा की जायेगी। आवश्यकतानुसार समय—समय पर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा भी तकनीकी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(iv) ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थी परिवारों की सूची तैयार कर इनमें महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के convergence के साथ शौचालय निर्माण हेतु कार्य—योजना तैयार कर उस पर ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(v) जिला जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों से निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का

उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर जिलावार समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(i) निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ convergence से किया जायेगा।

(ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में तथा ग्राम पंचायतें अन्य लाभार्थियों (गैर–इंदिरा आवास लाभार्थियों) के घरों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगें।

(iii) इंदिरा आवास के लाभार्थियों के घरों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत कुल ₹4600 प्रोत्साहन राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उनके द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में उन्हें हस्तांतरित की जायेगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ₹4600 प्रोत्साहन राशि, MGNREGS से अधिकतम ₹4500 लगाकर तथा लाभार्थी के न्यूनतम ₹900 अंशदान के साथ ₹10000 (या उससे अधिक) लागत के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों से करवाया जायेगा तथा शौचालय निर्माण के उपरान्त इंदिरा आवास योजना की अंतिम किस्त तथा निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को छोड़कर अन्य लाभार्थियों (BPL एवं चिन्हित श्रेणी APL परिवारों) के घरों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत ₹4600 प्रोत्साहन राशि ग्राम पंचायतों को उनके अधियाचना के आलोक में हस्तांतरित की जायेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत देय ₹4600 प्रोत्साहन राशि, MGNREGS से अधिकतम ₹4500 लगाकर तथा लाभार्थी के न्यूनतम ₹900 अंशदान के

साथ ₹10000 (या उससे अधिक) लागत के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों से करवाया जायेगा। शौचालय निर्माण के उपरान्त निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में यथा सम्भव उपलब्ध करायी जायेगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

7.8.13

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–102/2013– 689 पटना, दिनांकः– 07.08.2013
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

7.8.13

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–102/2013– 689 पटना, दिनांकः– 07.08.2013
प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.8.13

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–102/2013– 689 पटना, दिनांकः– 07.08.2013
प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.8.13

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–पी.एच. / बि.ज.स्व.मि.–102 / 2013– 689 पटना, दिनांकः– 07.08.2013
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी–सह–कार्यकारी अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन / सभी उप विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.8.13
(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–पी.एच. / बि.ज.स्व.मि.–102 / 2013– 689. पटना, दिनांकः– 07.08.2013
प्रतिलिपिः–मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.8.13
(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव